UPMP040087842026

Presented on : 04-05-2026
Registered on : 05-05-2026
Decided on : 05-05-2026
Duration : 0 years, 0 months, 1 days

IN THE COURT OF
J.M.Ist class AT ,Mainpuri
Presided Over by SUSHRI FOZIYA JAHAN
Bail Application/2289/2026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 1 मैनपुरी
वाद संख्या–1430/2026
अपराध संख्या– 598/2020
राज्य बनाम असवेन्द्र उर्फ छोटे ।

अं०धारा– 323, 504 व 506 भारतीय दंड संहिता
थाना – कोतवाली, जिला – मैनपुरी।

दिनांक–05.05.2026

आदेश

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र **प्रार्थी/अभियुक्त असवेन्द्र उर्फ छोटे पुत्र रोशन, निवासी– ग्राम गड़ेरी, थाना– कोतवाली, जिला– मैनपुरी** की ओर से अपराध संख्या– 598/2020 , **अंतर्गत धारा– 323, 504 व 506 भारतीय दंड संहिता** , थाना– कोतवाली, जिला मैनपुरी के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण किया गया।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। इलाका पुलिस/वादीगण ने रंजिशन झूंठा फंसा दिया है। प्रार्थी ने किसी के साथ कोई मारपीट व गाली–गलौज और न ही जान से मारने की धमकी दी है। प्रार्थी का अपराध जमानतीय है तथा प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3. सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध अजमानतीय प्रकृति का बताया गया है एवं अभियुक्त का आपराधिक इतिहास तलब किये जाने की याचना की गयी है।

4. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर उक्त आरोप हैं। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया गया। चूंकि मामला सात वर्ष के कम दण्ड से दण्डनीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 25 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं इसी राशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांकः 05/05/2026

(फ़ौज़िया जहां)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या- 1, मैनपुरी ।
(आई.डी. नं. – UP04675)